

पोस्टल बैलट फॉर्म / POSTAL BALLOT FORM

(इस प्रपत्र को भरने से पहले पीछे मुद्रित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

1. एकमात्र / पहले शेयरधारक का नाम एवं पता /
Name & Address of the Sole/First Shareholder:

संदर्भ सं/Sr. No.

2. पंजीकृत फोलियो संख्या / डीपी आईडी-ग्राहक आईडी
Registered Folio Number/DP ID-Client ID:

3. धारित शेयरों की संख्या / Number of Shares held:

4. मैं/हम पोस्टल बैलट के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपना मत देते हैं जो कि बैंक के पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 3 जनवरी, 2019 के डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित व्यवसाय के लिए है तथा इस संबंध में मैं / हम कथित संकल्प के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिये गए उचित कॉलम में (✓) चिन्ह लगाकर देते हैं। I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolution to be passed through Postal Ballot for the businesses stated in the **Postal Ballot Notice dated 3rd January, 2019** of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolutions by placing the tick (✓) mark at the appropriate column below:

मद सं. Item No.	विवरण Description	दिए जाने वाले मतों के लिए शेयरों की संख्या No. of Shares for which votes cast	प्रस्ताव के लिए मेरी / हमारी सहमति (पक्ष में) I/We assent to the Resolution (FOR)	प्रस्ताव के लिए मेरी / हमारी असहमति (विपक्ष में) I/We dissent to the Resolution (AGAINST)
1.	<p>ईएसपीएस के माध्यम से इक्विटी शेयर पूंजी की उगाही कर्मचारी शेयर खरीद योजना के तहत ("यूनियन बैंक - ईएसपीएस") पात्र कर्मचारियों के लिए रु. 10 (दस रूपए) प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 8,00,00,000 (आठ करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर, एक या एक से अधिक किस्तों में, सृजित करने, प्रदान करने, प्रस्तावित करने, जारी और आबंटित करने के लिए, और बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयर के समान श्रेणी में और बोर्ड/समिति द्वारा उनके संपूर्ण अधिकार के निर्णय अनुसार निर्धारित मूल्य या मूल्यों और नियम एवं शर्तों पर जारी किए जाएंगे.</p> <p>Raising of Equity Share Capital through ESPS To create, grant, offer, issue and allot up to 8,00,00,000 (Eight crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking pari passu with the existing equity shares of the Bank, under an Employee Share Purchase Scheme ("Union Bank - ESPS") in one or more tranches, to eligible employees, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion.</p>			

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

शेयरधारक के हस्ताक्षर / Signature of Shareholder

इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए नोटिस में संलग्न निर्देशों का संदर्भ लें./For Electronic Voting please refer the instructions in the Notice attached herewith.

संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि : गुरुवार, 14 फरवरी, 2019 शाम 5.00 बजे तक

Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer: Till 5.00 p.m. on Thursday, 14th February, 2019

इलेक्ट्रॉनिक मतदान विवरण / ELECTRONIC VOTING PARTICULARS

ईवीएसएन (ई-वोटिंग सीक्वेंस संख्या) EVSN (E-Voting Sequence Number)	यूजर आईडी USER ID	सीक्वेंस संख्या Sequence No.

निर्देश

1. यदि कोई शेयरधारक अपना मतदान डक मतपत्र द्वारा करना चाहता है तो वह डक मतदान प्रपत्र भरकर संवीक्षक स्व-पता लिखित पूर्व प्रदत्त डकव्यय वाले लिफाफे में भेजे। यदि डक मतपत्र वाले लिफाफे को प्राप्तकर्ता के पास व्यक्तिगत रूप से लाया जाता है या कूरियर द्वारा भेजा जाता है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा।
2. यह प्रपत्र सही ढंग से भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए (बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार)। यदि संयुक्त धारक हैं तो यह प्रपत्र प्रथम नाम वाले सदस्य द्वारा भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उसकी अनुपस्थिति में दूसरे नाम वाले सदस्य द्वारा।
3. यदि शेयरधारक कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि हैं तो सही प्रकार से भरे हुए डक मतदान प्रपत्र के साथ बोर्ड प्रस्ताव/प्राधिकृत किए जाने की प्रति संलग्न होनी चाहिए। यदि प्रपत्र भारत सरकार के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना है तो डक मतदान प्रपत्र के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
4. यदि अपनी सहमति दर्ज करनी है तो निर्धारित 'पक्ष' कॉलम में तथा असहमति दर्ज करनी हो तो 'विपक्ष' कॉलम में ही (✓) चिन्ह लगाया जाना चाहिए।
5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण डक मतदान प्रपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
6. यह आवश्यक नहीं कि कोई शेयरधारक अपने सभी मतों का प्रयोग करे अथवा सभी मत एक ही तरीके से करे।
7. पूर्ण रूप से भरे हुए डक मतदान प्रपत्र संवीक्षक के पास अंतिम तिथि यानि **गुरुवार, 14 फरवरी, 2019** को कार्यालय समय अर्थात् शाम 5.00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए। इस अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ऐसे सदस्यों के डक मतदान प्रपत्रों के बारे में ऐसा मान लिया जाएगा कि वे प्राप्त नहीं हुए हैं।
8. यदि आवश्यकता हुई तो कोई शेयरधारक डक मतदान प्रपत्र की दूसरी प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है। फिर भी, विधिवत भरी हुई डक मतदान प्रपत्र की दूसरी प्रति कॉलम सं. 7 में निर्धारित अंतिम तिथि तक संवीक्षक के पास पहुँच जानी चाहिए।
9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि स्व-पता लिखित पूर्व प्रदत्त डकव्यय वाले लिफाफे में डक मतदान प्रपत्र के साथ अन्य किसी प्रकार के कागजात न संलग्न करें।
10. निर्दिष्ट तारीख यानि **शुक्रवार, 11, जनवरी, 2019** की स्थिति में शेयरधारकों के नाम पर प्रदत्त पंजीकृत शेयरों के अनुसार ही मतदान अधिकार तय किया जाएगा।
11. डक मतदान प्रपत्र की वैधता के बारे में संवीक्षक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
12. डक मतपत्र द्वारा किए गए मतदान के परिणाम **शनिवार, 16 फरवरी, 2019** तक या उससे पूर्व घोषित कर दिया जाएगा तथा इसे बैंक के केंद्रीय कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज, बैंक के वेबसाइट पर एवं ई-वोटिंग एजेंसी को दी जाएगी।
13. ई-मतदान : सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा इसमें लिखित नियमों के अनुपालन में ई-मतदान के तहत बैंक (सीडीएसएल के ई-मतदान प्लैटफॉर्म के माध्यम से) विकल्प के रूप में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की ई-मतदान सुविधा सहर्ष प्रदान करता है जिससे उन्हें भौतिक प्रपत्र भेजना न पड़े। यह नोट करें कि यदि शेयरधारक ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान का चयन करता है तो उसे भौतिक रूप से मतदान प्रपत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शेयरधारक दोनों माध्यमों से मतदान करते हैं यानि ई-मतदान और भौतिक मतदान प्रपत्र से ई-मतदान को वैध माना जाएगा और शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत भौतिक मतदान प्रपत्र को अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-मतदान के संबंध में दिए गए विस्तृत निर्देशों के लिए नोटिस और उसमें दी गई टिप्पणियों का संदर्भ लें।

INSTRUCTIONS

1. A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.
2. This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member.
3. In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.
4. The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (ü) in the appropriate column.
5. Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.
6. A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.
7. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e. **5.00 p.m. on Thursday, 14th February, 2019**. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Member has not been received.
8. A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.
9. Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self addressed envelope.
10. Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. **Friday, 11th January, 2019**.
11. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.
12. The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before **Saturday, 16th February, 2019** and displayed on the Notice Board of the Bank at its Central Office, intimated to the stock exchanges, hosted on the website of the Bank and E-Voting Agency.
13. E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of CDSL) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E-voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e. Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to e-voting.